

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

रुद्रा नव निर्माण प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या-158, 159, 160 (पाटी) एवं 162 (पाटी) ग्राम-नसीरापुर, परगना-ईंसी, तहसील-फूलपुर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (4) के अन्तर्गत दाखिल समूह आवास मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम, भी अंकित हो।
4. स्थल पर 75 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
5. स्थल पर 15% भू-भाग को ग्रीन एरिया (2142.34 वर्गमीटर) के रूप में विकसित करना होगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
7. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
8. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 की समस्त प्रभावी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
9. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 03.01.2015 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
10. समूह आवास मानचित्र 352 आवासीय इकाई एवं 8 सुविधा-जनक शॉप्स (331+शेल्डर फीस जमा करने के सापेक्ष देय 21 अतिरिक्त इकाई = 352 इकाई) के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
11. उप निदेशक फायर सर्विसेस इलाहाबाद, मुख्य अभियन्ता-लोक निर्माण विभाग, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी, मुख्य अभियन्ता विद्युत (वितरण) पूर्वांचल विद्युत निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

12. समूह आवास परिसर में ट्रान्सफार्मर एवं वेस्ट मैटेरियल (कूड़ा करकट एकत्रीकरण) हेतु स्थान अनिवार्य रूप से सुरक्षित किया जायेगा।
13. परिसर में स्ट्रीट लाइट सोलर प्लेट द्वारा ऊर्जाकृत की जायेगी।
14. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान कम्पनी/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
15. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उOग्रO नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
17. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
18. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
19. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
20. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
21. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

12/10/15

(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (तOसO-2)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 81 / प्र0310(त0स0-2) / ज0न-5 / यु0ह10 / 2016-17 दिनांक 27 / 05 / 2017

01

अनुमति-पत्र (Revise)

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अब यह न समझना चाहिये कि उस गृहि के सम्बन्ध में जिस पर **समूह आवास (Revise) मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकित या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

रूद्रा नव निर्माण प्र0लि0 द्वारा आराजी संख्या-158, 159, 160 (पार्ट) एवं 162 (पार्ट) ग्राम-नसीरापुर, परगना-झँसी, तहसील-पूलापुर, जिला इलाहाबाद ज0न संख्या (5) के अन्तर्गत दखिल समूह आवास (Revise) मानचित्र उपाध्यक्ष, इ0लि0प्र0 के स्वीकृति आदेश दिनांक 15-05-2017 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अभिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक **Mandatory Clearances/N.O.C** की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।

3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो। स्थल पर 75 अर्द्ध वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।

5. पूर्व स्वीकृत समूह आवास मानचित्र परमिट संख्या-86/प्र0310(त0स0-2)/ज0न-5/यु0ह10/2014 दिनांक 13.01.2015 में 352 आवासीय इकाई एवं 8 सुविधा-जनक शॉप्स (331+शेल्टर फीस जमा करने के सापेक्ष देय 21 अतिरिक्त इकाई = 352 इकाई) के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। Revise समूह आवास मानचित्र 432 आवासीय इकाईयां एवं सामुदायिक केन्द्र, सुविधा जनक दुकानों के निर्माण की अनुमति हेतु है।

6. स्थल पर 15% भू-भाग को ग्रीन एरिया (2142.34 वर्गमीटर) के रूप में विकसित करना होगा।

7. स्थल पर सोलर वाटर हीटींग संयंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी।

8. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण काराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनुमति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

9. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 की समस्त प्रभावी नियम एवं शर्तें मान्य होगी। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 03.01.2015 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

10. शेष नियम एवं शर्तें पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-86/प्र0310(त0स0-2)/ज0न-5/यु0ह10/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अनुरूप पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

(पुष्पश्री श्रीवास्तव)
विशेष कार्यधिकारी